

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2810
दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल शोधन और विलवणीकरण संयंत्र

†2810. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्थापित जल शोधन और विलवणीकरण संयंत्रों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त संयंत्रों के लाभार्थियों की कुल संख्या संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त संयंत्रों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने जल शोधन और विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना के प्रयोजनार्थ कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने माह अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को अपनाया जाता है। पेयजल राज्य सूची का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों

की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। विलवणीकरण के उपयोग सहित, परिवारों को पीने योग्य जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी, के चयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। अतः ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

माह मार्च, 2023 में पेयजल शोधन प्रौद्योगिकियों पर एक पुस्तिका जारी की गई थी ताकि सभी हितधारकों के बीच उपलब्ध नई तकनीकों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा सके ताकि स्थानीय मुद्दों और जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली तकनीकों का उपयोग करके पेयजल शोधन संयंत्रों के प्रदर्शन और कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। राज्य तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर उपयुक्त जल शोधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं।

तटीय क्षेत्रों सहित पारिवारिक नल जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित जल का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2019-20 से 2024-25 (दिनांक 09.12.2024 की स्थिति के अनुसार) में जेजेएम के तहत आबंटित केन्द्रीय निधि, आहरित निधि तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। माह अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, देश में 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 09.12.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत लगभग 12.10 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 09.12.2024 की स्थिति के अनुसार, राज्य में लगभग 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.34 करोड़ (79.28%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल 35,018 जल शोधन संयंत्रों को जियो-टैग किए जाने की सूचना दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में है।

पूरे देश में जल जीवन मिशन की गति और पैमाने के साथ योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूर्णता योजना और वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा और अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए

कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी आवश्यकताओं के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण/कार्यकलाप शुरू करने का निरंतर अनुरोध किया जाता है।

दिनांक 12/12/2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2810 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

जल जीवन मिशन: वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोगिता
विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अंश					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	1.78	0.50	0.50	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	60.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	127.68	13.05
4.	असम	359.35	694.95	442.36	801.71	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	38.52
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	-	-	-	-
8.	गोवा	-	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
9.	गुजरात	-	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
10.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
11.	हिमाचल प्रदेश	-	148.67	205.83	205.83	197.41	15.46
12.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
13.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	366.98	114.89	120.78
14.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	491.01	298.70
15.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
16.	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एनआर	0.61
17.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
19.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	431.79
20.	मणिपुर	-	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
21.	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
22.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
23.	नागालैंड	-	56.49	56.49	56.49	23.54	4.67
24.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	260.46	241.12
25.	पुदुचेरी	1.27	2.50	एनडी	1.27	0.97	एनआर
26.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
27.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	702.35
28.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	26.99	14.71	1.48
29.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	374.59	114.58	99.14
30.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	110.00	88.33	72.89
31.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	194.31	59.45	6.48
32.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	638.22	379.17
33.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
34.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	469.54

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस

जल जीवन मिशन: वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोगिता
विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अंश					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	419.30	181.31
3.	अरुणाचल प्रदेश	56.02	254.85	344.85	400.87	392.43	47.15
4.	असम	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	91.08
5.	बिहार	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.77	221.04
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	-	-	-	-
8.	गोवा	-	12.41	6.20	6.20	2.99	13.49
9.	गुजरात	5.70	883.08	983.08	988.78	838.50	883.43
10.	हरियाणा	90.80	289.52	72.38	163.18	130.67	120.09
11.	हिमाचल प्रदेश	8.42	326.20	547.48	555.90	329.01	42.25
12.	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
13.	झारखंड	268.08	572.24	143.06	411.14	286.62	177.73
14.	कर्नाटक	81.65	1,189.40	446.36	528.01	349.62	428.26
15.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
16.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
17.	लक्षद्वीप	-	-		-	एनआर	एनआर
18.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1,206.30	1,014.70	876.84
19.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
20.	मणिपुर	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
21.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.38	188.30	20.44
22.	मिजोरम	30.77	79.30	104.30	135.07	107.90	10.13
23.	नागालैंड	34.90	114.09	85.57	120.47	91.95	10.00
24.	ओडिशा	105.07	812.15	609.11	714.18	686.41	671.98
25.	पुदुचेरी	0.30	4.64	1.06	1.36	0.20	1.00
26.	पंजाब	257.10	362.79	एनडी	257.10	146.74	152.77
27.	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	815.90
28.	सिक्किम	12.30	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
29.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.87	399.57
30.	तेलंगाना	31.10	412.19	82.71	113.81	61.17	133.98
31.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	253.92	195.00	22.26
32.	उत्तर प्रदेश	933.25	2,570.94	1,295.47	2,228.72	1,774.65	885.89
33.	उत्तराखंड	66.60	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
34.	पश्चिम बंगाल	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस

जल जीवन मिशन: 2021-22 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोगिता विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अंश					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	1.95	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	155.09	3,182.88	791.06	946.15	234.02	233.84
3.	अरुणाचल प्रदेश	8.43	1,013.53	1,555.53	1,563.96	1,113.37	117.99
4.	असम	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.42	312.89
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	4.00	336.79
6.	छत्तीसगढ़	168.54	1,908.96	477.24	645.78	498.69	488.63
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	एनडी	-	एनआर	एनआर
8.	गोवा	3.21	45.53	22.77	25.98	14.03	17.98
9.	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	2,708.24	2,124.85	2,226.25
10.	हरियाणा	32.51	1,119.95	559.98	592.49	433.78	430.31
11.	हिमाचल प्रदेश	226.89	1,262.78	2,012.78	2,239.67	1,420.78	149.71
12.	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	718.14	112.43	8.31
13.	झारखंड	124.51	2,479.88	512.22	636.73	437.21	510.99
14.	कर्नाटक	178.39	5,008.80	2,504.40	2,682.79	1,418.68	1,567.62
15.	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
16.	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	407.20	144.96	एनआर
17.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	3,837.59	4,029.20	2,262.78	2,479.33
19.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
20.	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
21.	मेघालय	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
22.	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	331.06	250.98	32.31
23.	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	362.13	345.14	27.88
24.	ओडिशा	27.77	3,323.42	2,492.56	2,520.33	1,305.79	1,288.36
25.	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	8.65	2.32	0.10
26.	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	265.70
27.	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,919.83	1,693.61
28.	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	203.02	90.12	11.57
29.	तमिलनाडु	377.58	3,691.21	614.35	991.93	457.63	496.16
30.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	17.70	68.88
31.	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	775.60	599.82	65.13
32.	उत्तर प्रदेश	454.07	10,870.50	5,435.25	5,889.32	2,728.48	2,935.18
33.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	1,082.85	1,194.07	603.31	67.99
34.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस

जल जीवन मिशन: 2022-23 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोगिता विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अंश					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.63	9.15	2.16	2.79	0.60	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	712.13	3,458.20	एनडी	712.13	304.71	98.38
3.	अरुणाचल प्रदेश	450.59	1,116.35	1,116.35	1,566.94	1,256.17	181.27
4.	असम	1,819.22	6,117.61	4,588.21	6,407.43	3,959.95	442.75
5.	बिहार	54.95	4,766.90	-	54.95	-	66.19
6.	छत्तीसगढ़	147.09	2,223.98	2,223.98	2,371.07	2,096.70	2,079.12
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	-	-	एनआर	एनआर
8.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	11.95	11.04	20.14
9.	गुजरात	583.39	3,590.16	3,590.16	4,173.55	3,084.89	3,272.38
10.	हरियाणा	158.71	1,157.44	463.00	621.71	519.77	447.46
11.	हिमाचल प्रदेश	818.89	1,344.94	1,344.94	2,163.83	1,615.65	182.29
12.	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3,039.11	1,439.50	2,045.21	1,141.38	153.69
13.	झारखंड	199.52	2,825.52	2,119.14	2,318.66	1,789.85	1,593.00
14.	कर्नाटक	1,264.11	5,451.85	2,725.93	3,990.04	2,806.03	3,237.49
15.	केरल	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
16.	लद्दाख	262.25	1,555.77	382.76	645.01	364.34	एनआर
17.	लक्षद्वीप	-	36.99	9.25	9.25	-	-
18.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	2,820.51	4,586.93	3,526.87	3,516.37
19.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,967.95
20.	मणिपुर	142.03	512.05	256.03	398.06	233.64	26.03
21.	मेघालय	420.52	747.76	1,047.00	1,467.52	1,098.48	122.85
22.	मिजोरम	80.08	333.91	448.58	528.66	407.40	45.74
23.	नागालैंड	17.00	484.28	484.28	501.28	481.71	52.71
24.	ओडिशा	1,214.54	3,608.62	1,768.73	2,983.27	2,166.00	2,143.19
25.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	6.34	0.94	0.22
26.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	264.78	264.80	210.69
27.	राजस्थान	1,288.79	13,328.60	6,081.80	7,370.59	3,935.10	4,123.31
28.	सिक्किम	112.90	136.17	188.92	301.82	222.53	20.63
29.	तमिलनाडु	534.30	4,015.00	872.96	1,407.26	593.71	663.13
30.	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एनडी	37.44	11.39	13.52
31.	त्रिपुरा	175.78	666.97	849.91	1,025.69	798.67	82.64
32.	उत्तर प्रदेश	3,160.84	12,662.05	9,496.54	12,657.38	9,650.07	9,259.84
33.	उत्तराखंड	590.75	1,612.50	1,209.38	1,800.13	1,515.65	163.77
34.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस

जल जीवन मिशन: 2023-24 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोगिता विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अंश					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.20	7.52	3.76	5.96	0.99	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	407.42	6,530.49	793.57	1,200.99	861.11	939.08
3.	अरुणाचल प्रदेश	310.77	1,057.11	771.21	1,081.98	1,055.15	137.77
4.	असम	2,447.48	10,351.68	6,204.00	8,651.48	7,870.90	866.11
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	274.38	4,485.60	2,885.56	3,159.94	2,638.91	2,627.12
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	-	-	-	-
8.	गोवा	0.92	11.25	11.25	12.17	11.76	11.25
9.	गुजरात	1,088.66	2,982.85	2,237.14	3,325.80	2,377.83	2,676.40
10.	हरियाणा	101.93	1,053.44	526.72	628.65	589.79	687.56
11.	हिमाचल प्रदेश	548.18	379.67	402.34	950.52	859.96	97.18
12.	जम्मू एवं कश्मीर	903.84	9,611.31	3,267.12	4,170.96	3,510.26	364.69
13.	झारखंड	528.81	4,722.76	2,875.35	3,404.16	3,140.70	3,291.53
14.	कर्नाटक	1,184.01	12,623.37	4,966.62	6,150.63	5,236.52	6,015.14
15.	केरल	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
16.	लद्दाख	280.66	477.11	131.07	411.73	346.73	एनआर
17.	लक्षद्वीप	9.25	39.63	19.82	29.07	एनआर	एनआर
18.	मध्य प्रदेश	1,060.06	10,297.86	5,419.90	6,479.96	6,388.57	6,390.54
19.	महाराष्ट्र	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,370.96
20.	मणिपुर	164.42	110.54	एनडी	164.42	119.49	18.75
21.	मेघालय	369.04	3,567.25	1,500.00	1,869.04	1,572.14	171.74
22.	मिजोरम	121.27	425.46	303.10	424.37	416.52	43.77
23.	नागालैंड	19.57	366.86	314.90	334.47	294.71	44.02
24.	ओडिशा	817.27	2,108.54	2,108.54	2,925.81	2,441.58	2,428.16
25.	पुदुचेरी	5.40	15.39	1.00	6.40	6.39	0.62
26.	पंजाब	-	479.02	119.76	119.76	103.79	166.43
27.	राजस्थान	3,435.49	3,019.94	250.00	3,685.49	2,898.54	3,903.05
28.	सिक्किम	79.29	634.55	251.61	330.90	318.98	29.67
29.	तमिलनाडु	813.55	3,615.56	2,617.10	3,430.65	2,617.49	2,612.30
30.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
31.	त्रिपुरा	227.01	1,773.40	744.18	971.19	860.09	105.25
32.	उत्तर प्रदेश	3,007.30	20,884.45	16,947.00	19,954.30	19,102.47	20,285.30
33.	उत्तराखंड	284.48	4,689.69	1,890.66	2,175.14	1,942.63	236.81
34.	पश्चिम बंगाल	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस

जल जीवन मिशन: 2024-25 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोगिता विवरण
(दिनांक 09.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अंश					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.97	2.98	एनडी	4.97	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	339.88	2,520.97	एनडी	339.88	253.04	406.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	26.84	217.82	65.35	92.19	22.32	0.06
4.	असम	780.58	5,198.78	2,059.63	2,840.21	2,398.57	265.35
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	521.03	1,277.27	191.59	712.62	252.39	256.51
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-	-	-	-	-	-
8.	गोवा	0.40	4.32	एनडी	0.40	एनआर	एनआर
9.	गुजरात	947.97	2,420.14	एनडी	947.97	747.97	1,271.54
10.	हरियाणा	38.86	462.03	एनडी	38.86	16.96	176.75
11.	हिमाचल प्रदेश	90.56	916.53	137.48	228.04	138.87	13.83
12.	जम्मू एवं कश्मीर	660.69	2,112.86	633.86	1,294.55	985.58	86.24
13.	झारखंड	263.46	2,114.22	एनडी	263.46	108.16	280.06
14.	कर्नाटक	914.11	3,804.41	570.66	1,484.77	672.56	2,643.48
15.	केरल	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	795.79	783.52
16.	लद्दाख	65.00	624.78	93.72	158.72	36.95	एनआर
17.	लक्षद्वीप	29.06	0.75	0.38	29.44	एनआर	एनआर
18.	मध्य प्रदेश	91.39	4,044.70	2,622.35	2,713.74	2,505.01	2,488.84
19.	महाराष्ट्र	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	1,977.34	2,220.55
20.	मणिपुर	44.93	-	एनडी	44.93	24.65	1.12
21.	मेघालय	296.90	653.60	196.08	492.98	449.74	53.20
22.	मिजोरम	7.85	45.09	6.76	14.61	12.03	7.32
23.	नागालैंड	39.75	39.75	5.96	45.71	45.54	5.08
24.	ओडिशा	484.23	2,455.94	368.39	852.62	511.62	509.09
25.	पुदुचेरी	0.01	12.58	एनडी	0.01	एनआर	0.01
26.	पंजाब	15.97	644.54	एनडी	15.97	2.93	45.58
27.	राजस्थान	786.95	11,061.46	1,659.22	2,446.17	2,164.79	979.03
28.	सिक्किम	11.92	124.50	18.67	30.59	18.68	7.91
29.	तमिलनाडु	813.15	2,438.89	731.67	1,544.82	1,267.41	1,273.52
30.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
31.	त्रिपुरा	111.10	736.75	221.03	332.13	287.21	29.43
32.	उत्तर प्रदेश	851.83	12,621.95	6,310.98	7,162.81	6,862.75	8,625.59
33.	उत्तराखंड	232.51	1,016.80	508.40	740.91	250.94	एनआर
34.	पश्चिम बंगाल	953.19	5,049.98	2,524.99	3,478.18	2,555.61	2,775.17

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2810 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

जल उपचार संयंत्र की संख्या भू-टैग की गई

(09.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-
2.	आंध्र प्रदेश	276
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,311
4.	असम	17,074
5.	बिहार	-
6.	छत्तीसगढ़	67
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-
8.	गोवा	12
9.	गुजरात	199
10.	हरियाणा	977
11.	हिमाचल प्रदेश	618
12.	जम्मू एवं कश्मीर	1,314
13.	झारखंड	349
14.	कर्नाटक	2,218
15.	केरल	522
16.	लद्दाख	-
17.	लक्षद्वीप	2
18.	मध्य प्रदेश	416
19.	महाराष्ट्र	908
20.	मणिपुर	437
21.	मेघालय	1,437
22.	मिजोरम	291
23.	नागालैंड	631
24.	ओडिशा	108
25.	पुदुचेरी	-
26.	पंजाब	763
27.	राजस्थान	547
28.	सिक्किम	135
29.	तमिलनाडु	247
30.	तेलंगाना	-
31.	त्रिपुरा	445
32.	उत्तर प्रदेश	639
33.	उत्तराखंड	531
34.	पश्चिम बंगाल	544
कुल		35,018

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस